

नंबर व तांशिका जो इस

छफ. ७३/२५

हुवम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

कृष्ण मुरारी बनाम राध-सरकार

नम्बर व तां० अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए।

२२/२५

पीटारीन अति प्ररी अवकाश/राज्य० कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक २२/५/२५ को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

२२/५/२५

अन्ता भिगिनापक परिषद अन्ता द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली दिनांक १५/७/२५ को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी अन्ता

२२/५/२५

पत्रावली आज कोर्ट केग ठीकरिंग में छलुन डका) बजल की-छर के मिठ मड वाड छलुन डिना गपारिा धारा 136 LRACT में केवल सिपिनीम आशुदियमा दही भी जा सकती है, बिपी भीडकाट के अधिकारों का सलन नही डिना जा सकता है, माननीम उच्चतम न्यायालय के निर्ण RRA 2015 पार 10 तथा माननीम उच्च न्यायालय राधरघाम के निर्ण RRA 2022(2) पार 1864 में भी यही निर्णान उपिपाठि डिना डि LRACT भी धारा 136 में बिपी भी डकाट के अधिकारों का सलन नही डिना जा सकता है। इलमिठ इलमन शरुकि पर शबार्कि डिना लाग के कोरे शरुकी को जकाड डी जाती है कि वह सिपिनीम वाड में आवे। कुबिया भी इदि से शरुकी सिपिनीम वाड में इल पत्रावली को जलपी काना लउगा, निर्ण सरे इलमन पडकाट मुजामा गमा ल पत्रावली केमर सुगा इलमन नमरा से कत हो।

कृष्ण शर्मा  
RRA

(अजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी अन्ता  
जिला बारां (राजग)